

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत जिला कलक्टर, झुंझुनू मुकाम झुंझुनू
पुत्री स्व० लीलुराम पत्नि शिवराज, जाति नाई, निवासी वार्ड नं० 12, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ,
झुंझुनू राज० हाल निवासी दोबडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू राज० बनाम श्री भगवान पुत्र श्री
सिंह, जाति अहीर, निवासी सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू राज० वगैरह।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा

नम्बर 6 सन् 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.2021	प्रार्थना पत्र बाद निर्देश पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिकार्ड मातहत अदालत तलब हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ से प्रकरण मे रिपोर्ट ली जावे। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.02.2021 को पेश हो	71 13-1-21 22-82 13-1-21
15-2-21	जिला कलक्टर, झुंझुनू पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व G.A. उपस्थित। रिपोर्ट मातहत अदालत प्राप्त। तलबी अप्रार्थीगण सं. 1 लगापत 9 की बाद तलब प्राप्त नहीं। प्रतीक्षा हो कर पत्रावली दिनांक 25-2-21 को पेश हो	
25-2-21	जिला कलक्टर झुंझुनू पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व G.A. उप०। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश ब्रुनिदा उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं० ने जबाब प्राप्त पत्र पेश किया। तलब वकील प्रार्थी की दिलाई गई। वकील अप्रार्थी सं० ने कबजत कटाफा डि प्रकरण मे अप्रार्थी सं० 2 लगापत 9 के दिखोबे के तौर पर पकका बनाया गया है एवं प्रमाण मे डेरी के इंडेन्ट से यह प्रमाण पेश किया गया है और बहस सुनने का निवेदन किया। प्रमाण मे बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी प्रमाण प्रस्तुत करने का ठोस कारण समझ नहीं कर सके। जिसके कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रमाण मे कोई सार नहीं है। सारहीन होने से यह प्रमाण सारिज	

25-2-21

लगातार

किया जाता है। पत्रावली कैलल शुगर होफर नम्बर
से रुम हो एवं बाद तफसील जफ्ता कारिबल इफ्तारे
हो।

M

(शुन्डी बोन)
जिला कलक्टर मुन्शुन